

[प्ररुप 12क
[नियम 20(2) देखिए]
निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती.....

रिटर्निंग आफिसर

विधान सभा

.....निर्वाचन-क्षेत्र।

संसदीय

महोदय,

विधान सभा

मैं.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से-----के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना
लोक सभा

चाहता हूँ।

मुझे निर्वाचन-क्षेत्र में.....(मतदान केन्द्र का सं० और नाम) में निर्वाचन-कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा
नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग
सं०.....में क्रम सं०.....पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररुप 12ख में एक निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र, उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन मैं कर्तव्यरूढ़
रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाए।

यह प्रमाणपत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:—

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय,

.....

[FORM 12A]
[See rule 20(2)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

To
The Returning Officer,
.....Assembly/Parliamentary constituency.

Sir,

I intend to cast my vote in person at the ensuing election to the Legislative Assembly/House of the People from theconstituency.

I have been posted on election duty within the constituency at(No. and name of the polling station) but my name is entered at Serial No..... Part No..... of the electoral rolls for.....assembly constituency comprised within.....Parliamentary constituency.

I request that an Election Duty Certificate in Form 12B may be issued to enable me to vote at the polling station where I may be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address:—

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Place.....
Date.....

Yours faithfully,
.....].